

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या

पत्रांक ५०२६ / 14-4 दिनांक: अयोध्या: ०६/०५/२०२५

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपके कार्यालय के पत्रांक 2990/11-सी FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 16.04.2025 व 3015/11-सी FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 21.04.2025 व प्रोजेक्ट डायरेक्टर एन०एच०ए०आई० रायवरेली का पत्रांक NHAI/PIU-RBLY/AYODHYA Bypass/Forest/34300 दिनांक 07-04-2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित इस कार्यालय के पत्र द्वारा आपके कार्यालय के पत्रांक 2990/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 16.04.2025, द्वारा लगायी गयी प्रकरण से सम्बन्धित तीनों वन प्रभागों की आपत्तियों का निवारण सम्बन्धित वन प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रेषित किया गया, सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्त संख्या -09 की कमी का निवारण कर पुनः निम्न प्रकार आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

## सारांश

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	अयोध्या	बस्ती	गोण्डा
1	सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्त सं०-2(b) के अनुपालना में सी०ए० की धनराशि।	(2271565+5996592.00) 82,68,157.00	11,12,229.00	20,43,277.00
2	सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्त सं०-2(c) के अनुपालना में गैर वनभूमि वन विभाग के नाम किये जाने हेतु।	प्रभावित वन भूमि के समतुल्य 2.48 हे० गैर वनभूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करायी जाय व परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाय।		
3	सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्त सं०-4 के अनुपालना में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०पी०) की वांछित धनराशि की धनराशि।	19,48,544.00	6,30,267.00	3,64,915.00
4	सैद्धान्तिक स्वीकृत की शर्त सं०-9 के अनुपालन में मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के	3,63,21,884.00	69,20,336.00	3,85,09,768.00

	साथ-साथ उप पर वृक्षारोपण की धनराशि।			
5	वृक्षों के छपान का शुल्क रू० 10.00 प्रति वृक्ष	830.00	1850.00	
6	वृक्षों के कटान दुलान हेतु वन निगम की धनराशि	3,44,030.00	6,69,532.00	
	योग:-	4,68,83,445.00	93,34,214.00	4,09,17,960.00

नोट:1- क्रम सं० 5 की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग को उनके डी०डी०ओ० के नाम से डिमान्ड ड्राफ्ट बनाकर अथवा प्रभाग के नाम से बैंक एकाउन्ट होने की स्थिति उनके एकाउन्ट में जमा कराया जाय।

2- क्रम सं० 6 की धनराशि मैनेजिंग डायरेक्टर, उ०प्र० फारेस्ट कारपोरेशन के पद नाम से संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ के खाता संख्या-29690200015824 एवं आई०एफ०सी० कोड संख्या-BARBOINDIRA में जमा कराने हेतु प्रेषित है।

अतः आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रकरण की अद्यतन स्थिति आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक ५०२६ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा०वा० सरयू वृत्त अयोध्या।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग गोण्डा।
4. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० बस्ती।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(प्रखर गुप्ता)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग, अयोध्या।

जनपद-बरती में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1586 हे० संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु उक्त मार्ग के अयोध्या वन प्रभाग में पडने वाले भाग 21.675 किमी० में मार्ग के दोनों पटरी पर 10-10 मी० व ड्रिवाइडर पर 5.0 मी० चौड़ाई में कुल 54.19 हे० भूमि पर मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक जी-541/2-37-2(सीलिंग दर) दिनांक 17.01.2024 (संलग्नक-12) के अनुसार तार बाड में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का प्राक्कलन :-

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)					
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा/सं०	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	प्रति हे०	54.190	56.05	3037.35
2	रोपण क्षेत्र की सफाई	प्रति हे०	54.190	402.46	21809.31
3	मृदा परीक्षण	प्रति हे०	54.190	250.00	13547.50
4	मृदा कार्य हेतु संरक्षण (गड्ढा/माउण्ट)	प्रति पौध	33869.0	0.35	11854.15
5	मृदा कार्य			0	
	अ-गड्ढों खुदान, सामान्य भूमि 0.60×0.60×0.60 (70 प्रतिशत)	प्रति पौध	23709	23.00	545307.00
	ब- माउण्ड निर्माण (ऊपरी व्यास 0.90 मी०)	प्रति पौध	10160	57.49	584098.40
6	तारबाड हेतु सामग्री			0	
	अ-आर०सी०सी० खम्भों का मूल्य कर ग्राउटिंग (6:3:1 10×10×1.00 मी०)	प्रति पौध	0	536.00	0.00
	ब-कुटेदार तार का मूल्य (5 लड)	प्रति टन	0	112890.00	0.00
7	अन्य व्यय	एक गुरत	1.0	1100	1100.00
	योग				1180753.71
	अथवा				1180754.00

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)					
क्र० सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	धनराशि
1	गड्ढा भरान (70 प्रतिशत)	प्रति पौध	23709	1.84	43624.56
2	गड्ढों / माउण्ट में कीटनाशक मिलाना	प्रति पौध	33869.0	0.17	5757.73
3	गड्ढों / माउण्टों में मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	प्रति पौध	33869.0	13.03	441313.07
4	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्रति पौध	34886.0	70	2442020.00
5	तार बाड कार्य			0	
	अ-आर०सी०सी० खम्भों की ग्राउटिंग (6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट)	प्रति पौध	0	257.62	0.00
	ब-खम्भों का स्थानीय ढुलान 5 प्रतिशत	प्रति पौध	0	4.33	0.00

	स- तार की खिंचाई	प्रति पौध	0	1.12	0.00
6	पौध ढूलान (10 किमी० से 20 किमी०) (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्रति पौध	34886.0	23	802378.00
7	पौध का स्थानीय ढूलान	प्रति पौध	33869.0	7.80	264178.20
8	पौधरोपण व थाला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	प्रति पौध	33869.0	6.44	218116.36
9	निराई-गुराई व मल्लिंग निराई 2 बार	प्रति पौध	67738.0	1.48	100252.24
10	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार	प्रति पौध	304821.0	3.80	1158319.80
11	रासायनिक उर्वरक , कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	प्रति पौध	54.19	600	32514.00
12	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति हे०	54.190	706.65	38293.36
13	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	प्रति हे०	54.190	750	40642.50
14	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय माह जुलाई से मार्च तक वाचर (5 हे० पर एक ) $274/5=54.8$ दिन)	प्रति हे०	2969.61	230	683010.30
15	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1.0	1100	1100.00
		योग			6227895.56
		अथवा			6227896.00

तृतीय चरण (अनुरक्षण कार्य-प्रथम वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	सिंचाई विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	प्रति पौध	406428	3.80	1544426.40
2	पौधों की निराई-गुडाई 3 बार	प्रति पौध	101607	1.48	150378.36
3	तार वाड की मरम्मत		0	0	0.00
4	रासायनिक उर्वरक , कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	प्रति हे०	54.190	600.0	32514.00
45	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	प्रति हे०	54.2	750.0	40642.50
5	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय (अप्रैल से मार्च ) 12 माह $365/5=73$ दिन)	प्रति हे०	3955.87	230.0	909850.10
8	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1.0	1100.0	1100.00
		योग			2678911.36
		अथवा			2678911.00

चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	धनराशि
1	निराई गुड़ाई एक बार	प्रति पौध	33869.0	1.48	50126.12
2	पौधों की सिंचाई छः बार	प्रति पौध	203214.0	3.8	772213.20
6	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय (अप्रैल से जून) 90/5=18दिन)	प्रति दिन	975.42	230.00	224346.60
7	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1.0	550	550.00
		योग			1047235.92
		अथवा			1047236.00

सारांश

1	2 चरण	3 वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	4 10% मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	5 कुल धनराशि
1	प्रथम चरण-अग्रिम मृदा कार्य	1180754.00	1	1180754.00
2	द्वितीय चरण-वृक्षारोपण कार्य	6227896.00	1.1	6850685.60
3	तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण	2678911.00	1.21	3241482.31
4	चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण	1047236.00	1.331	1393871.12
5	पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण	1047236.00	1.4641	1533258.23
6	षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण	1047236.00	1.6105	1686573.58
7	सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण	1047236.00	1.7716	1855283.30
8	अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण	1047236.00	1.9488	2040853.52
9	नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण	1047236.00	2.1437	2244959.81
10	दशम चरण-अष्टम अनुरक्षण	1047236.00	2.3581	2469487.21
11	एकादशम चरण-नवम अनुरक्षण	1047236.00	2.5939	2716425.46
12	द्वादशम चरण-दसम अनुरक्षण	1047236.00	2.8533	2988078.48
	योग:-			30201712.61
	या			30201713.00
	कार्यालय व्यय	10 percent		3020171.3
	सम्पूर्ण योग			33221884.30
	या			33221884.00

अन्य उपकरण

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/सं०	दर	धनराशि
1	घास काटने की मशीन	4.00	25000.0	100000.00
2	सुरक्षा चौकी का निर्माण	2.00	500000.0	1000000.00
3	ट्रैक्टर व टैंकर का क्य	2.00	1000000.0	2000000.00

	योग		3100000.00
	कुल योग		36321884.00

नोट - तार बाड का कार्य यूजर एजेन्सी / एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराया जायेगा ।

  
 उपप्रभागीय वनाधिकारी  
 वन प्रभाग अयोध्या

  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 वन प्रभाग अयोध्या

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।  
पत्रांक- 5293 / 33-1 बस्ती, दिनांक, मई 06 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अयोध्या वन प्रभाग,  
अयोध्या।

विषय:-

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2990/11-सी-  
FP/UP/Road/151936/2022 दिनांक 03.12.2024 एवं आपका पत्रांक 3885/14-4 दिनांक  
28.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं०-9 के अनुपालन में संशोधित स्टीमेट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
बस्ती

संख्या 5293 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
बस्ती।

बाड़-बस्ती में अयोध्या बाड़पास (उत्तरी एवं दक्षिण बाड़पास) 4/6 लेन के निर्माण में बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० सरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन से असांवरणीय क्षतिपूर्ति हेतु उक्त मार्ग के बस्ती वन प्रभाग में पडन वाल भाग 3805 किमी० में मार्ग के दोनों पटरी पर 10 मी०-10 मी० व डिवाइडर पर 50 मी० चौड़ाई में कुल 9.52 हे० भूमि पर मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक जी-541/2-37-2(सीलिंग दर) दिनांक 17.01.2024 के अनुसार तार बाड में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का प्राक्कलन :-

प्रथम चरण (अग्रिम नृदा कार्य)					
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	संरक्षण व सीमांकन	प्रति हे०	9.520	56.05	533.60
2	राज्य क्षेत्र की सफाई	प्रति हे०	9.520	402.46	3831.42
3	नृदा परीक्षण	प्रति हे०	9.520	250.00	2380.00
4	नृदा कार्य हेतु संरक्षण (गडढा/नाउण्ड)	प्रति गडढा	5950.0	0.35	2082.50
5	नृदा कार्य			0	
	अ-गडढा खुदान, सामान्य भूमि 0.60x0.60x0.60 (70 प्रतिशत)	प्रति गडढा	4165	23.00	95795.00
	ब- नाउण्ड निर्माण (ऊपरी व्यास 0.90 मी० निचला व्यास 2.10 मी० ऊँचाई 0.60 मी० (30 प्रतिशत)	प्रति गडढा	1785	57.49	102619.65
6	तारबाड हेतु तानग्री			0	
	अ-आर०सी० खन्ना का मूल्य कर सहित (0.15x0.10x1.80मी०)	प्रति खन्ना	0	536.00	0.00
	ब-काटेदार तार का मूल्य (5 लड)	प्रति टन	0	112890.00	0.00
7	अन्य व्यय	प्रति हे०	9.5	1100	10472.00
	योग				217714.17
	अथवा				217714.00

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)					
क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	गडढा नरान (70 प्रतिशत)	प्रति पौध	4165	1.84	7663.60
2	गडढा / नाउण्ड में कीटनाशक निलाना	प्रति पौध	5950.0	0.17	1011.50
3	गडढा / नाउण्डों में नृदा सुधारक/गाबर की खाद का प्रयोग	प्रति पौध	5950.0	13.03	77528.50
4	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्रति पौध	6129.0	70	429030.00
5	तार बाड कार्य			0	
	अ-आर०सी० खन्ना की श्राउटिंग (6:3:1 सीमेंट कंक्रीट)	प्रति	0	257.62	0.00
	ब- खन्ना का स्थानीय दुलान 5 प्रतिशत	प्रति	0	4.33	0.00
	स- तार की खिंचाई	प्रति	0	1.12	0.00
6	पौध दूरान (10 किमी० से 20 किमी०) (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्रति पौध	6129.0	23	140967.00
7	पौध का स्थानीय दुलान	प्रति पौध	5950.0	7.80	46410.00

8	पीधरोपण व थाला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	प्रति पौध	5950.0	6.44	38318.00
9	निराई-गुडाई व मल्लिचग निराई 2 बार	प्रति पौध	11900.0	1.48	17612.00
10	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार	प्रति पौध	53550.0	3.80	203490.00
11	रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	प्रति हे०	9.52	600	5712.00
12	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	9.520	706.65	6727.31
13	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	प्रति हे०	9.520	750	7140.00
14	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय माह जुलाई से मार्च तक वाचर (5 हे० पर एक ) $274/5=54.8$ दिन)	प्रति दिन	521.696	230	119990.08
15	अन्य प्रकीण व्यय	प्रति हे०	9.52	1100	10472.00
		योग			1104408.39
		अथवा			1104408.00

#### तृतीय चरण (अनुरक्षण कार्य-प्रथम वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	सिंचाई विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	प्रति पौध	71400	3.80	271320.00
2	पौधों की निराई-गुडाई 3 बार	प्रति पौध	17850	1.48	26418.00
3	तार बाह की मरम्मत		0	0	0.00
4	रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	प्रति हे०	9.520	600.0	5712.00
45	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	प्रति हे०	9.52	750.0	7140.00
5	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय (अप्रैल से मार्च ) 12 माह $365/5=73$ दिन)	प्रति दिन	694.96	230.0	159840.80
8	अन्य प्रकीण व्यय	एक मुश्त	1.0	1100.0	1100.00
		योग			471530.80
		अथवा			471531.00

#### चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष)

क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	निराई गुडाई एक बार	प्रति पौध	5950.0	1.48	8806.00
2	पौधों की सिंचाई छ बार	प्रति पौध	35700.0	3.8	135660.00
6	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रामिक पर व्यय (अप्रैल से जून ) $90/5=18$ दिन)	प्रति दिन	171.36	230.00	39412.80

अन्य प्रकीर्ण व्यय

एक मुरत	1.0	550	550.00
योग			184428.80
अथवा			184429.00

सारांश

1	2	3	4	5
	चरण	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10 % महंगाई दर के आधार पर गुणांक	कुल धनराशि
1	प्रथम चरण-अधिम मृदा कार्य	217714.00	1	217714.00
2	द्वितीय चरण-दुधारोपण कार्य	1104408.00	1.1	1214848.80
3	तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण	471531.00	1.21	570552.51
4	चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण	184429.00	1.331	245475.00
5	पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण	184429.00	1.4641	270022.50
6	षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण	184429.00	1.6105	297022.90
7	सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण	184429.00	1.7716	326734.42
8	अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण	184429.00	1.9488	359415.24
9	नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण	184429.00	2.1437	395360.45
10	दशम चरण-अष्टम अनुरक्षण	184429.00	2.3581	434902.02
11	एकादशम चरण-नवम अनुरक्षण	184429.00	2.5939	478390.38
12	द्वादशम चरण-दशम अनुरक्षण	184429.00	2.8533	526231.27
	योग-			5336669.49
	या			5336669.00
	कार्यालय व्यय/प्रशासनिक व्यय-	10 percent		533666.9
	सम्पूर्ण योग			5870335.90
	या			5870336.00
अन्य उपकरण				
क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/सं०	दर	धनराशि
1	घास काटने की मशीन	2.00	25000.0	50000.00
2	ट्रैक्टर व टैंकर का क्य	1.00	1000000.0	1000000.00
	योग			1050000.00
	कुल योग			6920336.00

नोट- तार बाड का कार्य यूजर एजेन्सी / एन०एच०ए०आई० द्वारा कराया जायेगा ।

  
 प्रभागीय निदेशक,  
 सामाजिक, दानिकी वन प्रभाग,  
 बरसी।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग, गोंण्डा।

पत्रांक 3245 /33-1. दिनांक, गोंण्डा, मई 06- /2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
अयोध्या वन प्रभाग,  
अयोध्या।

**विषय:-** अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 185 वृक्षों के पातन तथा गोंण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 2990/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/151936/2022 दिनांक 03.12.2024 एवं आपका पत्रांक 3885/14-4 दिनांक 28.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपालन में संशोधित स्टीमेट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।  
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गोंण्डा वन प्रभाग, गोंण्डा।

संख्या— /उक्त दिनांकित।

**प्रतिलिपि:-** वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोंण्डा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राज्य नार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गोंण्डा वन प्रभाग, गोंण्डा।

अयोध्या बाईपास उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, यस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु उक्त मार्ग के गोण्डा वन प्रभाग में पड़ने वाले भाग 24.5 कि०मी० में 5 मी० चौड़ाई में कुल 61.25 हे० भूमि पर मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 541/2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक 17.01.2024 के संलग्नक-12 के अनुसार तारवाड़ में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का प्राक्कलन।

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)					
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	प्रति हे०	61.250	56.05	3433.06
2	स्थल सफाई	प्रति हे०	61.250	402.46	24650.68
3	मृदा परीक्षण	प्रति हे०	61.25	250	15312.50
4	मृदा कार्य हेतु संरक्षण	प्रति	38281.00	0.35	13398.35
5	अ-मृदा कार्य गड्ढा खुदाग (0.60×0.60×0.60 मी०)	प्रति	26797	23.00	616331.00
	ब-माउण्ड निर्माण (उपरी व्यास 0.90 मी० निचला व्यास 2	प्रति	11484	57.49	660215.16
6	अ-आर०सी०सी० खम्भों का मूल्य कर सहित	प्रति	0	536.00	0.00
	ब-काटेदार तार का मूल्य	प्रति टन	0	112890.00	0.00
7	अन्य व्यय		61.25	1100.00	67375.00
	योग				1400715.75
	अथवा				1400716.00

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)					
क्र० सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	गड्ढों का भरान	प्रति	26797.0	1.84	49306.48
2	गड्ढों/माउण्डों में कीटनाशक मिलान	प्रति	38281.0	0.17	6507.77
3	गड्ढों/माउण्डों हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	प्रति	38281.0	13.03	498801.43
4	पौधों का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्रति	39429	70.00	2760030.00
5	तारवाड़ कार्य				
	अ-आर०सी०सी० खम्भों की ग्राउटिंग	प्रति	0	257.62	0.00
	ब-खम्भों का स्थानीय ढूलान	प्रति	0	4.33	0.00
	स-तार की खिंचाई	प्रति मी०	0	1.12	0.00
6	पौधों का ढूलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति पौध	39429	23.00	906867.00
7	पौधों का स्थानीय ढूलान	प्रति पौध	38281	7.80	298591.80
8	पौधा रोपण थाला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	प्रति पौध	38281	6.44	246529.64
9	निराई गुड़ाई व मल्लिग निराई गुड़ाई 2 बार	प्रति	76562	1.48	113311.76
10	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार	प्रति	344529	3.80	1309210.20
11	रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	प्रति	61.25	600.00	36750.00
12	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	61.25	706.65	43282.31
13	विभागीय टैक्टर व टैक्टर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	प्रति हे०	61.25	750	45937.50
14	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय जुलाई से मार्च तक	प्रति दिन	3357.000	230.00	772110.00
15	अन्य व्यय	प्रति हे०	61.250	1100	67375.00
	योग				7154610.89
	अथवा				7154611.00

तृतीय चरण (अनुरक्षण कार्य-प्रथम वर्ष)					
क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	सिंचाई विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 12 बार	प्रति पीघ	459372.00	3.80	1745613.60
2	पीघों की निराई-गुड़ाई 3 बार	प्रति पीघ	114843.00	1.48	169967.64
3	रासायनिक उर्वरक 1 बार	प्रति	61.250	600.0	36750.00
4	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर सर्विसिंग, मरम्मत आदि	प्रति हे०	61.25	750.00	45938.00
5	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर ध्वय अप्रैल से मार्च तक	प्रति हे०	4471.00	230.0	1028330.00
6	अन्य व्यय	प्रति हे०	61.25	1100.0	67375.00
	योग				3093974.24
	अथवा				3093974.00

चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष)					
क्रम सं०	कार्य का विवरण		मात्रा/सं०	दर	घनराशि
1	निराई गुड़ाई 1 बार	प्रति पीघ	38281.00	1.48	56655.88
2	सिंचाई 6 बार	प्रति पीघ	229686.00	3.80	872806.80
3	सुरक्षा हेतु श्रमिक (अप्रैल से जून तक)	प्रति दिन	1103.00	230.00	253690.00
4	अन्य व्यय		61.3	550.00	33687.50
	योग				1216840.18
	अथवा				1216840.00

सारांश				
1	2	3	4	5
	चरण	वर्तमान दर के अनुसार सांछित घनराशि	10 % मंहगाई दर के आधार	कुल घनराशि
1	प्रथम चरण-अग्रिम मृदा कार्य	1400716.00	1	1400716.00
2	द्वितीय चरण-वृक्षारोपण कार्य	7154611.00	1.1	7870072.10
3	तृतीय चरण-प्रथम अनुरक्षण	3093974.00	1.21	3743708.54
4	चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुरक्षण	1216840.00	1.331	1619614.04
5	पंचम चरण-तृतीय अनुरक्षण	1216840.00	1.4641	1781575.44
6	षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुरक्षण	1216840.00	1.6105	1959720.82
7	सप्तम चरण-पंचम अनुरक्षण	1216840.00	1.7716	2155753.74
8	अष्टम चरण-षष्ठम अनुरक्षण	1216840.00	1.9488	2371377.79
9	नवम चरण-सप्तम अनुरक्षण	1216840.00	2.1437	2608539.91
10	दशम चरण-अष्टम अनुरक्षण	1216840.00	2.3581	2869430.40
11	एकादशम चरण-नवम अनुरक्षण	1216840.00	2.5939	3156361.28
12	द्वादशम चरण-दशम अनुरक्षण	1216840.00	2.8533	3472009.57
	योग:-			35008879.64
	या			35008880.00
	कार्यालय व्यय		10 percent	3500888
	सम्पूर्ण योग			38509768.00
	या			38509768.00

नोट:-तारबाड़ का कार्य यूजर एजेंसी/एन०एच०ए०आई० द्वारा कराया जायेगा।

प्रभागीय विकास  
महा धन प्रभाग गोरख



## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

### National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

रा.रा. सं०-330ए किमी० 90.350, ग्राम रसूलपुर मीठेगांव टोल प्लाजा,

पोस्ट-कुचेरा तहसील-मील्कीपुर, जनपद अयोध्या-224127 (उ०प्र०)

NH-330A, Km 90+350, Village-Rasulpur Mithegaon Toll Plaza,

Post-Kuchera, Tehsil-Milkipur, Ayodhya-224127 (U.P.)

ईमेल / E-mail : [piuayodhya@nhai.org](mailto:piuayodhya@nhai.org); [piuayodhya1@gmail.com](mailto:piuayodhya1@gmail.com) वेब: [www.nhai.gov.in](http://www.nhai.gov.in)




13.05.2025

### Undertaking

This is certify that this office is looking after the work of "Development of 4/6 lane Ayodhya Bypass total length of 67.572 Kms (Package-1 Northern Ayodhya Bypass starting at Km 112+540, ending at Km 139+928 of NH-28 and Package-2 Southern Ayodhya Bypass starting at Km 112+540, ending at Km 153+281 of NH-28) under NHDP Phase-VII in the State of Uttar Pradesh" an undertaking is submitted which is as follows:

*"In this regard, it is hereby stated that against the condition No 9 of In-principle approval of MoEFCC dated 03.06.2024, it is undertaken that necessary compliance against the direction of DDGF- RO Lucknow for deposition of tree plantation charges shall be complied with on receipt of the Revised Estimate from State Forest Department, Uttar Pradesh, after obtaining due approval from the Competent Authority of NHAI."*

  
13.05.2025  
(Navratan)  
Project Director